

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 191/2024  
अनवान : -

1. रामप्रताप सैनी पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर हाल निवासी जयपुर राजस्थान।

- वादी

**बनाम्**

1. सावित्री पत्नी मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भगवती देवी पुत्री मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. प्रेमलता पुत्री मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. चम्पालाल सैनी पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. अशोक कुमार पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 21/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है मदनलाल पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है मदनलाल पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 5 है जो मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पक्ष में परित्याग कर चुकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

  
उपखण्ड अधिवक्ता  
नोहर



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है।। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 23 एनटीआर सम्वत 2072-75 खाता संख्या 153/153, मृत्यु प्रमाण पत्र मदनलाल, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता पन्नाराम पुत्र सहीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जवाब प्रार्थना पत्र/ ईकबाल पेश किया गया है कि उक्त वाद भूमि में से पनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम 9/10 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नहीं है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं० 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो की वादी का पिता है मदनलाल पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है मदनलाल पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 5 है जो मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पक्ष में परित्याग कर चुकी वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत

दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मदनलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए सहमति/ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मदनलाल पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 191/2024

अनवान : -

1. रामप्रताप सैनी पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर हाल निवासी जयपुर राजस्थान।

- वादी

बनाम्

1. सावित्री पत्नी मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भगवती देवी पुत्री मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. प्रेमलता पुत्री मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. चम्पालाल सैनी पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. अशोक कुमार पुत्र मदनलाल जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 191 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मदनलाल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मदनलाल पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स० 4 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर